

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 62/39/7
ग्रा.वि.07(JJH)विविध- 05/2020

पटना, दिनांक 10/07/2020

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल-जीवन-हरियाली मिशन के संचालन हेतु सहायक अनुदान में कुल 275.84 लाख (दो करोड़ पचहत्तर लाख चौरासी हजार) रुपये की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश:- स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बढ़ती जनसंख्या एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने, जल को प्रदूषण मुक्त रखने, इसके स्तर को संतुलित रखने, हरित आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग एवं ऊर्जा की बचत पर बल देने, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नया आयाम देने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से जल-जीवन-हरियाली अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

02. जल-जीवन-हरियाली अभियान को मिशन मोड में लागू करने हेतु, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नियमित अनुश्रवण करने के लिए जल-जीवन-हरियाली मिशन का गठन किया गया है । जल-जीवन-हरियाली मिशन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 21 के तहत दिनांक 17.10.2019 को निबंधित है ।

03. वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल-जीवन-हरियाली मिशन अंतर्गत राज्य योजना मद में स्वीकृत राशि निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-

		(राशि लाख में)		
क्र०सं०		बजट शीर्ष	विषय शीर्ष (मद)	स्वीकृत राशि
1	राज्य योजना	मुख्य शीर्ष- 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 001- निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष 0110- जल-जीवन-हरियाली मिशन, मांग संख्या- 42, विपत्र कोड 42- 2515000010110	31 04 सहायक अनुदान-वेतन आदि	240.00
			31 06 सहायक अनुदान गैर वेतन आदि	35.84
		कुल		275.84

04. स्वीकृत राशि की अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

05. स्वीकृत राशि निम्नवत अंकित जल-जीवन-हरियाली मिशन के पी0एल0पी0डी0 खाता में विमुक्त किया जाएगा :-

क्र0सं0	पी0एल0पी0डी0 खाता संख्या	Ledger Name:-	Ledger ID	मद
1	PTSPLA034 00-8448-00-120-0086-00-01	Jal-Jeevan-Hariyali Sahayak Anudan Vetan Mad	18690	31 04 सहायक अनुदान वेतन आदि
2		Jal-Jeevan-Hariyali	17285	31 06 सहायक अनुदान गैर वेतन आदि

खाते का संचालन मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली मिशन के द्वारा किया जाएगा ।

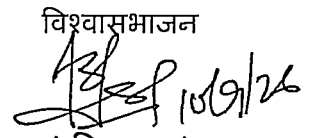
06. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जल-जीवन-हरियाली मिशन पी0एल0पी0डी0 खाता संख्या का पूर्व वित्तीय वर्ष का Reconciliation प्रतिवेदन एवं अवशेष प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय एवं कोषागार कार्यालय को प्रेषित करेगी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराया जाएगा ।

07. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 एवं परिपत्र संख्या- 314 दिनांक 01.04.2026 में निर्धारित मापदंडों में निहित प्रावधान के तहत निकासी की जायेगी । राशि का व्यय बिहार वित्त नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों एवं वित्तीय प्रावधानों के आलोक में की जाएगी । बिहार कोषागार संहिता के नियम 343 एवं 353 के अनुपालन में वांछित प्रतिवेदन जमा प्रशासक द्वारा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा । जमा प्रशासक के जमा खातों का नियमानुसार अंकेक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा । अनुदान की स्वीकृति को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा व्यय में वित्तीय नियमों / पत्रों / परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जमा प्रशासक की जिम्मेवारी समझी जाएगी ।

08. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

09. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

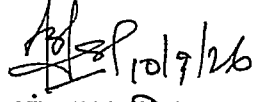
10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा.वि.07(JJH)विविध- 05/2020 के टिप्पणी 148 दिनांक 07.09.2020 को प्राप्त है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा ।

विश्वासभाजन

 (रवि कुमार)
 संयुक्त सचिव


ज्ञापांक 6215917 पटना, दिनांक 10/07/2026

ग्रा.वि.07(JJH)विविध- 05/2020

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना / मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली मिशन, बिहार पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10 (बजट शाखा) / आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


संयुक्त सचिव